



नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सी.आई.एन: 174899D1974G01007417
 पंजीकृत कार्यालय: स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोट-III,
 7, इस्टीमेशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
 वेबसाइट: www.nationalfertilizers.com, ई-मेल आईडी: investor@nfl.co.in
 टेलीफोन: 011 - 24360066, 24361252

शेयरधारकों को नोटिस

भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और विमूर्तकरण के लिए विशेष विंडो

सभी संबंधित शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि एसईबीआई पट्रिफर संख्या एचओ/38/13/11(2)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/आई/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, इन भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण विलेखों की दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से पहले खरीदी व बेची गई थी, को दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए खोली गई है।

यह सुविधा उन हस्तांतरण अनुसंधान पर भी लागू होती है जो मूल रूप से 1 अप्रैल, 2019 से पहले प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन दस्तावेजीकरण में कमियाँ या अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण अस्वीकृत, वापस कर दिए गए थे।

कृपया ध्यान दें कि प्रस्तुत किए गए सभी हस्तांतरण अनुसंधानों पर केवल डिमेट रूप में ही कार्यवाई की जाएगी और हस्तांतरण पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वे लॉक-इन अवधि के अंतर्गत रहेंगे। उक्त लॉक-इन अवधि के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण/ग्रहणाधिकार गिरवी रखना संभव नहीं होगा। संबंधित शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएँ और अपने हस्तांतरण अनुसंधानों को आवश्यक दस्तावेजों सहित कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, एमएसएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, द्वितीय मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली - 110020 को प्रस्तुत/पुनः प्रस्तुत करें। दूरभाष: 011-26387281-83; ईमेल आईडी: investor@masserv.com

कृते: नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड

हस्ता/-

(अधिकांश)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 08.10.2026

HDFC BANK

एचडीएफसी बैंक लि.

शाखा: बोरिंग रोड चौराहा, एबीसी टावर, द्वितीय तल, बोरिंग रोड, पटना
 फोन: 0612- 6690669, CIN L65920MH1994PLC080618 Website: www.hdfcbank.com

मांग सूचना

वित्तीय आसित्यों एवं प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन एवं प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के साथ पत्नीय प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत जारी सूचना ।

जबकि **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का दिनांक 17 मार्च 2023) के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा अनुमोदित समेलन की एक योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) (**एचडीएफसी**), वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पड़ित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों को उक्त मांग सूचना जारी की जिसमें नीचे उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और / या वसूली तक प्राप्ति कागद व्यव, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की राशि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया। अधोहस्ताक्षरी ने इन सूचनाओं को उक्त कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों के अतिम ज्ञात संबंधित परिसरों में चिपकाया है। उक्त सूचना की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों, यदि वे चाहें, तो सामान्य शीर्षकाल समय में किसी भी कार्य दिवस के दौरान अधोहस्ताक्षरों से संबंधित प्रतियाँ ले सकते हैं।

प्रतिभूत सम्पत्ति(सम्पत्तियों) वापस लेने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों कानूनी प्रतिनिधियों का नाम का धारा कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	प्रतिभूति परिसम्पत्ति का विवरण
1.	श्री कुतुब अल्लमशा और श्रीमती साना होजाब	₹ 31,80,767/- 31.07.2026 तक*	10.09.2026	प्लैट सं-307 का सभी भाग जिसका रकबा 1050 वर्ग फीट (97.55 वर्ग मीटर), तृतीय तल, टावर 6, भवन /अपार्टमेंट एड डिविजो, प्लॉट जीएचए-014ए, सेक्टर 1, गौतमबुद्ध नगर, गेटर नोएडा (पश्चिम) उत्तरप्रदेश-201306

*भुगतान और / या वसूली तक उपर उल्लिखित बकाया राशि पर लागू अतिरिक्त ब्याज, लागत, व्यय और शुल्क के साथ ।

तथापि, उपरोक्त वर्णित कर्जदार बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे। विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों और आम जनता को एवम्द्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी लि. के यदि उक्त कर्जदारों **एचडीएफसी** को पूर्व के भुगतान करने में विफल रहेंगे, तो **एचडीएफसी** उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(ओं) /अचल सम्पत्ति(ओं) के खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों पर पूरी तरह से लागू नियमों के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा ।

उक्त अधिनियम के तहत उपरोक्त कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों को उपरोक्त दर्शाई गई प्रतिभूत परिसम्पत्ति(ओं) /अचल सम्पत्ति(ओं) को हस्तान्तरित करने के लिए, यदि वह विक्री के तरीके से हो, पट्टे पर या अन्यथा **एचडीएफसी** के लिखित सूचना के बिना निष्पत्ति किया गया है। केंद्रों में व्यक्तित्व जो अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और / या जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा ।

दिनांक : 08.10.2026
 स्थान : पटना

(विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।)

कृते **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**
 ह/०
 प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापत भाग, लोअर परेल (पश्चिम) मुंबई - 400020



केनरा बैंक
Canara Bank
A Member of the Canara Group of Banks & Financial Institutions

परिसंपत्ति वसुली प्रबंधन शाखा
हाउस बाग, नई दिल्ली-110005
ईमेल: ch2365@canarabank.com

संदर्भ सं.: 2365/पारल पैरवी : मांग सूचना-01
मांग सूचना
हाइपोथेकेशन के अंतर्गत (वाहन)
दिनांक: 29.09.2026

सेवा में,
श्रीमती पारूल वाजोये (उधारकर्ता), मार्फत श्री आशीष तिवारी
अएड303, सेक्टर 12, एमआईडी, प्रताप विहार, गाँवियादाद, उत्तर प्रदेश - 201009
श्री आशीष तिवारी (गारंटर/जमानदार)
अएड303, सेक्टर 12, एमआईडी, प्रताप विहार, गाँवियादाद, उत्तर प्रदेश - 201009
महोदय / महोदया,

विषय: पारल वाजोये द्वारा हवाई बैंक के पक्ष में बनाए गए हाइपोथेकेशन का निरीक्षण करण

जैसा कि आप अवगत हैं, आपके अनुरोध पर हमारे बैंक ने आपको कंपनी को निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाएं यकीन की थी:

क्र. सं.	ऋण सं.; ऋण की प्रकृति	सीमा	स्वीकृति की तिथि	राशि
1	1956603002654	वाहन ऋण	27/11/20	6700000

इस संबंध में, आपने बैंक के पक्ष में सुरक्षा समझौते किए हैं। हम आपका ध्यान आपके द्वारा हमारे बैंक के साथ निष्पादित हाइपोथेकेशन समझौते / ऋण समझौते दिनांक 03.12.2020 की ओर आकर्षित करने चाहते हैं। उक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय आपने उपरोक्त समझौते में निर्धारित और शर्तों के अनुसार ऋण राशि का भुगतान करने का स्पष्ट वचन दिया था।

श्रीमती पारूल वाजोये ने गायत्री समझौते निष्पादित करके, उस पर लागू वाले व्याज सहित रु.6,70,00,000 (छह लाख सतर हजार रुपये मात्र) की सीमा तक की क्रेडिट सुविधाओं के लिए आपके द्वारा बैंक को देय या उत्पन्न सभी राशि के मांग पर भुगतान और सभी दायित्वों के निर्वहन को गारंटी दी है।

हालांकि, मैं 2023 से, वाहन खरीदने के लिए दी गई उक्त वित्तीय सहायता / क्रेडिट सुविधाओं का संचालन और आचरण अनियमित हो गया है। आगे यह भी कहा जाता है कि आप उपर्युक्त समझौते की शर्तों और वीक्यू की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं।

उपर्युक्त वित्तीय सहायता / क्रेडिट सुविधाएं/ वीक्यू की शर्तों के अनुसार नहीं रही हैं और मूल ऋण / किसत तथा उस पर व्याज के भुगतान में की गई चुक के परिणामस्वरूप, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वगीकरण से संबंधित निर्देशों / दिशा-निर्देशों के अनुसार 01.08.2023 को इस ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बाध्य हुआ।

बैंक द्वारा प्रेषित वेबका बिलियों से पता चलता है कि आज की तिथि तक बैंक के प्रति उधारकर्ता की देनदारी रु. 3,79,691.86 (तीन लाख उनचास हजार छह सौ इक्क्यान्वे रुपये और छियासी पैसे मात्र) है, जिसका विवरण भविष्य की व्याज दर के साथ नीचे दिया गया है। (आगे यह भी कहा गया है कि उधारकर्ता/गारंटर दिए गए बैंक के बकाए का भुगतान करने में असमर्थता समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं) और बकाए का निपटारा करने में टालमटोल करते रहे हैं। उपर्युक्त वित्तीय सहायता/क्रेडिट सुविधाओं का संचालन और रखरखाव ठीक जो जाने तथा मूल ऋण/किसत और उस पर व्याज के भुगतान में की गई चुक के परिणामस्वरूप, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वगीकरण से संबंधित निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार 01.08.2023 को इस ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बाध्य हुआ।

बैंक इस सूचना के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप उक्त बकाए / वकया देनदारियों का भुगतान करने में विफल रहे हैं और आपने इसकी अदेखदी की है। इसलिए इस सूचना को जारी करके आपसे मांग की जाती है कि वह नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर नीचे उल्लेखित बैंक की देनदारियों का पूरा भुगतान करें। इसके अलावा, आपको हम भी सूचित किया जाता है कि आप अपने बकाए की वसुली में बैंक द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सभी लागतों, सुल्कों, खर्चों और आकस्मिक खर्चों के साथ 8.55% की दर से भविष्य का व्याज देने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

[आज की तिथि तक देनदारी का विवरण]

क्र. सं.	ऋण सं.	ऋण की प्रकृति/सीमा	देनदारिता (आज की तिथि तक)	व्याज दर
1	1956603002654	वाहन ऋण	भविष्य की व्याज दर के साथ रु. 3,79,691.86	8.55% + चंद्राकार व्याज

कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप इस सूचना को प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर इसे नोटिस की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त रु. 3,79,691.86 (तीन लाख उनचास हजार छह सौ इक्क्यान्वे रुपये और छियासी पैसे मात्र) के साथ-साथ अगले व्याज, आकस्मिक खर्चों और लागतों का बैंक को भुगतान करने में विफल रहें हैं, तो बैंक अपनी (उधारकर्ता/गारंटर को) बंधक परिसंपत्तियों/वाहन को अपने कब्जे में लेने के अधिकार का प्रयोग करेगा जिसमें बंधक परिसंपत्ति को वसूल करने के लिए सीए, असाइनमेंट या बिज्रो के माध्यम से हस्तान्तरित करने का अधिकार और उक्त परिसंपत्तियों की बिज्रो से प्राप्त राशि को हमारे बैंक में आपके ऋण खातों में समाविष्ट करने का अधिकार भी शामिल है।

बंधक वाहन का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	वाहन का विवरण	पंजी. सं. एवं विवरण	इंजन सं.	बीएस सं.
1	नई बिजरो ZXL BS-VI (NEW DZIRE ZXI BS-VI)	UP32LV 9959	400S0708	MA3CZFBSLK713374

आपको भी सूचित किया जाता है कि निष्पादित समझौतों की शर्तों के अनुसार, आप, उधारकर्ता/ उधारकर्ता कंपनी / गारंटर) बैंक की लिखित सहमतिका प्राप्त बिना किसी, तीसरा या किसी अन्य माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को हस्तांतरित नहीं करेंगे। आपको अगले सूचना प्राप्त किया जाता है कि उधारकर्ता कंपनी/गारंटर द्वारा निष्पादित समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करके अपराध करे, और यदि किसी भी कारण से, स्वयंसाय के सामान्य क्रम में सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचा जाता है या लीज पर दिया जाता है, तो विक्रेता से प्राप्त राशि या अर्जित आय को बैंक में जमा किया जाएगा।

यह सूचना बैंक द्वारा किसी भी प्रकार के जारी की जाती है और इसे बैंक के किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों के परित्याग के रूप में नहीं समझा जाएगा, जिसमें आपको कंपनी द्वारा प्राप्त उपर्युक्त क्रेडिट सुविधाओं के लिए देन और भुगतान योग्य पाई गई राशियों की ओर की सभी शामिल है।

यह बैंक को वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत उल्लंघन अन्य अधिकारों पर बिना किसी पूर्वज्ञापन के है।

**आपका धन्यवाद,
अधिकृत अधिकारी**

[illegible]

 पंजाब नैशनल बैंक मरसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)  punjab national bank ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)			आस्ति वसुली प्रबंधन शाखा, पूर्वी दिल्ली, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091, ई-मेल : Email: cs8075@pnb.co.in, दूरभाष : 011-22779758, 22785289		अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना		
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पंढित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनमान्यता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(ों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसुली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है", "जो है वहाँ है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" आधार पर की जायेगी। आश्रित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्बद्ध उल्लिखित के अनुसार होगी।							
क्र. सं.	शाखा का नाम		(A) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि	अचल सम्पत्तियों का विवरण बंधककर्ता/रयामी का नाम [सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता]	आश्रित मूल्य (रु. लाख में)		
	खाते का नाम		(B) मांग सूचना के अनुसार राशि		ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि)		
	कर्जदार/जमानती खाता का पता एवं नाम		(C) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि		संविदा वृद्धि राशि		
			(D) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक				
1	शा.का.: मयूर विहार (440800) मैसर्स श्रीअमरनाथजी एन्जिम प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) पता: जी-24, वर्धमान मार्केट, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092 साथ ही: 90, प्रकाश इंडस्ट्रियल एस्टेट, गाजियाबाद, उ.प्र. -201005 साथ ही: 13, दूसरी मंजिल, ऋषभ विहार, दिल्ली-110092 श्रीमती शिल्पी जैन पता: 13,2वीं मंजिल, ऋषभ विहार, दिल्ली-110092 श्री प्रवीण कुमार जैन पता: 13,2वीं मंजिल, ऋषभ विहार, दिल्ली-110092 श्री अरुण कुमार बंसल पुत्र श्री प्रकाश चंद बंसल पता: ए-11, पंचशौल गार्डन, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 साथ ही: 1049/ए, लोहियागली नंबर 5, पूर्वी बाघरपुर, शाहदरा, दिल्ली-110032		12.07.2017 रु. 14,21,67,326.12 तिथि 30.09.2026 तक (30.09.2026 तक ब्याज और अन्य प्रभार शामिल) + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं अंतिम भुगतान तक व्यय 18.09.2017 भौतिक	आवासीय संपत्ति बेसमेंट, बी-5 विवेक विहार, दिल्ली क्षेत्रफल 646.200 वर्ग मीटर, जिसका लिंब/कवर्ड एरिया 358.692 वर्ग मीटर है, श्रीमती शिल्पी जैन के नाम पर।	रु. 319.00 लाख रु. 31.90 लाख (27.10.2026) रु. 50000/-	27.10.2026 11.00 बजे पूर्व. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं सूच्री राजबाला पुनिया (मो. नं. 9013609199) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली
2	शा.का.: सक्की मंडी (012600) मैसर्स वीनस पोलिमर्स इंडस्ट्रीज पता: एच-1169, डीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नरेला, दिल्ली-110040; इसके अलावा: सम्पत्ति नंबर 504-ए, क्लाइमेक्स को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, रोहिणी, दिल्ली श्रीमती सुमन चट्टा पता: टी-4/502, लेकवुड अपार्टमेंट सेक्टर-48, फरीदाबाद, हरियाणा; साथ ही - एच-3/50, सेक्टर-18, रोहिणी, दिल्ली-110089 श्रीमती कृष्णा बेदी (स्वामीय श्री मदन लाल बेदी की पत्नी) पता: पीयू-72, विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034; साथ ही: सम्पत्ति नंबर 504-ए, क्लाइमेक्स को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, रोहिणी, दिल्ली; साथ ही: पीयू-72, पहली मंजिल, ब्लॉक-पीयू, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034		11.08.2015 रु.77,75,83,669.53 तिथि 30.09.2026 तक (30.09.2026 तक ब्याज और अन्य प्रभार शामिल) + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं अंतिम भुगतान तक व्यय 02.04.2018 भौतिक	सम्पत्ति नंबर- पीयू-72, पूरी पहली मंजिल, ब्लॉक-बय, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, एरिया 84 वर्ग मीटर, श्रीमती कृष्णा बेदी पत्नी स्वामीय श्री मदन लाल बेदी के नाम पर।	रु. 139.01 लाख रु. 13.90 लाख (27.10.2026) रु. 50000/-	27.10.2026 11.00 बजे पूर्व. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं सूच्री राजबाला पुनिया (मो. नं. 9013609199) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली
3	शा.का. : राजनपुर शाखा दिल्ली (042410) मैसर्स आर एम मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) पता: 205-206, दूसरी मंजिल प्लॉट नंबर 14, (एलएससी) नीलकंठ चैंबर स्कू नैनी एन्क्लेव, दिल्ली-110092 साथ ही: 129ए मेहापुर इंडस्ट्रियल एरिया, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री मदन मोहन वर्मा पुत्र श्री नयमी लाल वर्मा (निदेशक/गारंटर) पता: 303-304, कृत प्लाजा, तीसरी मंजिल, ए ब्लॉक (एलएससी), सूरजमल विहार, दिल्ली-110092 और साथ ही: 138, पहली मंजिल, हरगोविंद एन्क्लेव, कड़कड़हुमा मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली-110092 और साथ ही: 31, गुजरात विहार, दिल्ली-110092 श्रीमती प्रभा वर्मा पत्नी श्री मदन मोहन वर्मा (निदेशक/गारंटर) पता: 303-304, कृत प्लाजा, तीसरी मंजिल, ए ब्लॉक (एलएससी), सूरजमल विहार, दिल्ली-110092 और साथ ही: 138, पहली मंजिल, हरगोविंद एन्क्लेव, कड़कड़हुमा मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली-110092 और साथ ही: 31, गुजरात विहार, दिल्ली-110092		06.06.2024 रु. 21,28,27,606.72 पूर्ण एवं अंतिम भुगतान होने तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 21.08.2024 भौतिक	लीज होल्ड सम्पत्ति का एट 129-ए इंडस्ट्रियल एरिया मेहटपुर जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका माप 4325 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स आरएम मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, केवल भूमि और भवन (प्लॉट और मशीनरी शामिल नहीं)	रु. 167.00 लाख रु. 16.70 लाख (27.10.2026) रु. 25000/-	27.10.2026 11.00 बजे पूर्व. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं सूच्री राजबाला पुनिया (मो. नं. 9013609199) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली
4	शा.का. : पहाड़गंज, दिल्ली (013000) श्रीमती नेहा सोनी पत्नी श्री राम च						

बिजली प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : 1. सम्पत्तियों की बिजली “जहाँ है जैसा है”, “जो है वही है” तथा “जो कुछ भी है वही है” आधार पर की जा रही है। 2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्देश्यपूर्ण में किसी त्रुटि, गलतफहमी अथवा विलोपन के विरुद्ध उत्तरदायी नहीं होगा। 3. बिजली वेबसाइट <https://baanknet.com> पर प्राधान्यता ई-नीलामी लेखनार्थ के माध्यम से नीलामी की उपर्युक्त तिथि एवं समय तक होगी। 4. बिजली के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया <https://baanknet.com> तथा www.pnbindia.in देखें। 5. सभी वैधानिक बकाया/परिसर भार/पंजीकरण शुल्क, राशियाँ शुल्क, कर आदि सहित अन्य बकाया क्रेता को वहन करना होगा और प्राधिकृत कार्यालय या बैंक किसी भी शुल्क, भार में प्रहणधान्यता या सरकार या किसी अन्य को संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, विजली के बकाया आदि सहित संपत्ति पर कर के बारे में स्वतंत्र जांच करें।